माननीय न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और लीजा गिल के समक्ष

अनारी देवी ..... अपीलार्थी

बनाम

हरियाणा राज्य..... प्रतिवादी

सीआरए नंबर डी- 2009 का 1106-डीबी (ओ & एम)

6 जुलाई 2015

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 धारा .20 और 29–दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973–धारा 394–भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872–धारा 27, 30–अपीलकर्ता संख्या 1 को रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया–उसके पास से 5 किलो 500 ग्राम चरस बरामद हुई–अपीलकर्ता नंबर 1 को यह खुलासा हुआ कि वह अपने पड़ोसी से चरस लेती थी (अपीलकर्ता नंबर 2) और उसे सुरेंद्र उर्फ पप्पू को सौंप दिया गया - अपीलकर्ता नंबर 2 को गिरफ्तार कर लिया गया - खुलासा दर्ज किया गया - हालांकि, कोई बरामदगी नहीं हुई - विचारण न्यायलय ने दोनों अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया - अपील दायर की - अपीलकर्ता नंबर 1 की हिरासत में मृत्यु हो गई - अपील उसके लिए उपयुक्त है निरस्त - अपीलकर्ता नंबर 2 के आधार पर अपील की अनुमति - माना गया कि अभियोजन सह-अभियुक्त द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान पर आरोपी के खिलाफ अपने मामले की नींव नहीं रख सकता है - सह-अभियुक्तों के प्रकटीकरण बयान को ठोस साक्ष्य के स्तर तक नहीं बढ़ाया जा सकता है - धारा 30 साक्ष्य अधिनियम अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए नहीं आएगा - साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 बयान के उस हिस्से की स्वीकार्यता की अनुमति देती है जिससे तथ्य की खोज होती है और अधिक से अधिक पुष्टिकारक के रूप में उस पर भरोसा किया जा सकता है।

यह माना गया कि यह एक स्थापित स्थिति है कि अभियोजन पक्ष मामले में सह-अभियुक्त द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान पर आरोपी के खिलाफ अपने मामले की नींव नहीं रख सकता है। सह-अभियुक्त के प्रकटीकरण वक्तव्य को अभियुक्त की दोषसिद्धि का आधार बनाने के लिए ठोस साक्ष्य के स्तर तक नहीं उठाया जा सकता है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य सबूतों को आश्वासन देने या पुष्टि करने के लिए इस पर भरोसा किया जा सकता है।

(पैरा 15)

आगे कहा गया कि अपीलकर्ता नंबर 2 के खिलाफ रिकॉर्ड पर कोई अन्य सबूत नहीं है। विद्वान राज्य के वकील की यह दलील कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 इस स्थिति में अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए आएगी, किसी भी पुष्टि के अभाव में असमर्थनीय है, इसलिए स्वीकृति के योग्य नहीं है।

(पैरा 16)

उन्होंने कहा कि ट्रेन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या के बावजूद, उस समय कोई भी संबंधित नहीं था। यह एक स्वीकार्य स्थिति है कि अपीलकर्ता संख्या 2 द्वारा प्रकटीकरण कथन इग्ज़िबिट पी 4/ए के अनुसरण में कोई वसूली नहीं की गई थी। अपीलकर्ता नंबर 1 से प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी पहले ही की जा चुकी थी, जो अपीलकर्ता नंबर 2 की गिरफ्तारी से पहले है। बरामदगी का स्थान पहले पुलिस के संज्ञान में था। 1/2 किलोग्राम चरस, जैसा कि उक्त प्रकटीकरण बयान में उल्लेख किया गया है, पुलिस द्वारा कभी भी बरामद नहीं किया गया था। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27, जो अभियुक्त के बयान के उस हिस्से की स्वीकार्यता की अनुमति देती है, जिससे तथ्य का पता चलता है, को इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा सेवा में नहीं डाला जा सकता है। वर्तमान तथ्यात्मक मैट्रिक्स में, अपीलकर्ता नंबर 2 को दोषी ठहराने के लिए रिकॉर्ड पर किसी अन्य सबूत के अभाव में उपरोक्त दो प्रकटीकरण बयानों पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं होगा। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य उनकी दोषसिद्धि को सही नहीं ठहराते हैं। यह स्पष्ट रूप से आरोपी के अपराध की ओर इशारा नहीं करता है। वह इस तथ्यात्मक मैट्रिक्स में संदेह के लाभ का हकदार है।

(पैरा 17)

अपीलकर्ता के वकील श्री अंशुमन दलाल।

श्री विवेक सैनी, एएजी, हरियाणा

न्यायमूर्ति लिज़ा गिल।वर्तमान अपील अनारी देवी और राज कुमार @ राजू दुबे द्वारा क्रमशः 23-10-2009 और 26-10-2009 के निर्णय और आदेश को लागू करते हुए पसंद की गई है, जिसमें उन्हें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट (संक्षेप में एन.डी.पी.एस अधिनियम), 1985 की धारा 20/29 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और 1,00,000 रुपये का जुर्माना भरने के अलावा आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। ऐसा न करने पर छह महीने के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

2. श्री संदीप एस मान, वरिष्ठ डीएजी, हरियाणा द्वारा यह बताया गया है कि अपीलकर्ता नंबर 1 - अनाड़ी देवी की 22.01.2010 को हिरासत में मृत्यु हो गई है। इसलिए, अपीलकर्ता

नंबर 1 - अनारी देवी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 394 के संदर्भ में अपील को निरस्त किया जाता है।

3. वर्तमान अपील केवल प्रतिवादी नंबर 2 - राज कुमार @ राजू दुबे के लिए बची है।

4. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 18.10.2008 को ए.एस.आई मनफूल, पीडब्ल्यू 10 ड्यूटी पर अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 3 रेलवे स्टेशन, भिवानी में मौजूद थे। ट्रेन संख्या 4519 स्टेशन पर पहुंची और यात्रियों की नियमित जांच की जा रही थी। एक महिला अपने दाहिने हाथ में एक सफेद प्लास्टिक बैग (कट्टा) पकड़े हुए ट्रेन से उतरी। पुलिस पार्टी को देखते ही वह पीछे मुड़ी और तेज गति से चलने लगी। उसे संदेह के आधार पर पकड़ा गया। उसने अपना नाम लीलावती पुत्र बाबू लाल निवासी पडवाना बताया। तथापि, उसने 20-10-2008 को अपना नाम अनारी देवी बताया और बताया कि वह ग्राम राम नगर बिल्ला, हरि नगर का निवासी है, न कि ग्राम पडवाना का, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है। एन.डी.पी.एस अधिनियम की धारा 50 के तहत उन्हें नोटिस दिया गया था, जिसमें संदेह व्यक्त किया गया था कि वह अपने पास रखे बैग में कुछ प्रतिबंधित पदार्थ ले जा रही थीं और उन्हें किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने का अधिकार था। उसने राजपत्रित अधिकारी के समक्ष खोज का विकल्प चुना। इसके बाद पी डब्ल्यू 5, पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) रणधीर सिंह राणा, एचपीएस जीआरपीएस, हिसार को टेलीफोन पर अपने कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचने के लिए सूचित किया गया। तथ्यों का खुलासा उसके सामने किया गया। उनके निर्देश पर अपीलकर्ता अनारी देवी द्वारा रखे गए सफेद बैग का वजन किया गया और 5 किलो 500 ग्राम वजन की चरस बरामद की गई। 100-100 ग्राम के दो नमूने अलग किए गए। अवशेष को उसी बैग में वापस डाल दिया गया था। अवशेषों और नमूनों के अलग-अलग पार्सल तैयार किए गए और उनकी मुहर 'आरएस' के साथ सील कर दिया गया। डीएसपी ने सभी पार्सलों पर अपनी मुहर 'एचएस' भी लगा दी। ए.एस.आई मनफूल सिंह द्वारा उपयोग के बाद सील हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश को सौंप दी गई। सील को डीएसपी रणधीर सिंह ने बरकरार रखा। रुका इग्ज़िबिट पी ए को ईएचसी धनी राम के माध्यम से पुलिस स्टेशन भेजा गया था, जिस पर एमएचसी रोहताश कुमार द्वारा दिनांक 19.10.2008 को एफआईआर नंबर 172, इग्ज़िबिट पीए /1 दर्ज किया गया था। स्वतंत्र गवाह सरजीत को कार्यवाही से जोड़ा गया था, हालांकि उसे आरोपी पक्ष द्वारा जीत लिया गया था, इस प्रकार उससे पूछताछ नहीं की गई थी।

5. केस प्रॉपर्टी एम एच सी पुलिस चौकी, जीआरपी भिवानी में जमा की गई। मामले की संपत्ति, नमूने, गवाह और आरोपी को सत्यापन के लिए 19-10-2008 को एस.एच.ओ सतपाल सिंह के समक्ष पेश किया गया था। एस.एच.ओ सतपाल ने इसका सत्यापन किया और सभी पार्सलों पर अपनी मुहर 'पी आर' लगा दी। आरोपियों को सीलबंद पार्सल के साथ सुश्री शशि चौहान, जे एम आई सी, भिवानी के समक्ष एन.डी.पी.एस अधिनियम की धारा 52-ए के तहत

आवेदन के साथ इन्वेंट्री के प्रमाणीकरण के लिए पेश किया गया। जो की इग्ज़िबिट PW6/B है। नमूने और अवशेषों पर उसके द्वारा 5 रुपये के मोनोग्राम सिक्के की एक मुहर लगाई गई थी। उनके निर्देश पर अदालत कक्ष में मामले की संपत्ति के साथ आरोपी एक्स पी 2 की तस्वीरें ली गईं। पार्सल को उसी दिन फिर से एमएचसी पुलिस चौकी, जीआरपी भिवानी में जमा किया गया।

6. आरोपी अनारी देवी @ लीलावती को 20.10.2008 को एक प्रकटीकरण बयान, इग्ज़िबिट पी डब्ल्यू 10/बी का सामना करना पड़ा, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह राजू (राज कुमार) नामक अपने पड़ोसी से चरस लेती थी और उसे सुरेंद्र @ पप्पू निवासी मितथल को सौंप दिया गया था। राजू द्वारा उन्हें प्रति यात्रा 1,000 रुपये से अधिक किराया और खर्च दिया गया था।

7. अपीलकर्ता नंबर 2 - राज कुमार @ राजू को ए.एस.आई मनफूल सिंह ने 26.10.2008 को गिरफ्तार किया था। राज कुमार - अपीलकर्ता नंबर 2 को 27.10.2008 को खुलासा बयान संख्या पी 4/ए का सामना करना पड़ा, जिसमें कथित तौर पर खुलासा किया गया कि उसने अपीलकर्ता अनारी देवी को दो अन्य लोगों के साथ आरोपी पप्पू @ सुरेंद्र सिंह को आपूर्ति करने के लिए 16 किलोग्राम चरस दी थी। उसने पप्पू को देने के लिए मैनपुरी में अपने एक रिश्तेदार के साथ 1/2 किलो चरस छिपाकर रखी थी और वह उसे बरामद कर सकता है। तथापि, ऐसी कोई वसूली नहीं की गई।

8. जांच पूरी होने पर धारा 173 सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट सतपाल सिंह, इंस्पेक्टर, एसएचओ द्वारा तैयार की गई और प्रस्तुत की गई। अनारी देवी के खिलाफ एन.डी.पी.एस अधिनियम की धारा 20 के तहत और अपीलकर्ता नंबर 2 - राज कुमार के खिलाफ एन.डी.पी.एस अधिनियम की धारा 20/29 के तहत 24.02.2009 को आरोप तय किए गए थे और आरोपियों ने विचारण की मांग की।

9. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए 10 गवाहों से पूछताछ की। आरोपियों ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपने बयान में निर्दोष होने और झूठे आरोप लगाने से इनकार करते हुए कहा कि बचाव में कोई सबूत नहीं दिया गया।

10. विचारण कोर्ट ने सबूतों की सराहना करने पर पाया कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों के खिलाफ अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया था, जिससे उन्हें दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

11. अपीलकर्ता नंबर 2 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उसे इस मामले में केवल सह-आरोपी अनारी देवी के प्रकटीकरण बयान के आधार पर झूठा फंसाया गया है। रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जो इस मामले में अपीलकर्ता नंबर 2 की मिलीभगत की ओर इशारा करता हो। उक्त अपीलकर्ता से कोई वसूली नहीं की गई। इसके अलावा, अपीलकर्ता द्वारा

कथित रूप से पीड़ित प्रकटीकरण बयान इग्ज़िबिट पी डब्ल्यू 4/ए को भी अभियोजन पक्ष द्वारा सेवा में नहीं डाला जा सकता है क्योंकि यह साक्ष्य में अस्वीकार्य है। इस प्रकटीकरण वक्तव्य के अनुसरण में कोई वसूली नहीं की गई है और न ही कोई तथ्य खोजा गया है। इसलिए, अपीलकर्ता नंबर 2 को उसके सह-अभियुक्त द्वारा प्रकटीकरण बयान इग्ज़िबिट पी डब्ल्यू 10/बी या उसके द्वारा प्रकटीकरण बयान पी डब्ल्यू 4/ए के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता था।

12. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने अन्य पहलुओं पर भी बहस को संबोधित किया है, जैसे कि उपस्थित होने के बावजूद स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं करना, रासायनिक परीक्षण के लिए नमूने भेजने में देरी और लिंक साक्ष्य की अनुपस्थिति जो नमूनों के छेड़छाड़ के साथ निष्कर्ष की ओर जाता है। इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि अपीलकर्ता नंबर 2 पर लगाई गई सजा पूरी तरह से अनुचित और अवैध रूप से रद्द कर दी जाए।

13. उपरोक्त तर्कों का खंडन करते हुए राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत हैं, जो अपीलकर्ताओं पर लगाए गए दोषसिद्धि और सजा को सही ठहराते हैं।

14. हमने पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुना है और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

15. मामले में, अपीलकर्ता नंबर 2 को अपीलकर्ता नंबर 1 - अनारी देवी द्वारा सामना किए गए प्रकटीकरण बयान के आधार पर नामित किया जाता है। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, यह उसके खुलासे के परिणामस्वरूप है कि अपीलकर्ता नंबर 2 को 26.10.2008 को बिहार से गिरफ्तार किया गया था। राज्य के विद्वान वकील द्वारा यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाता है कि उक्त अपीलकर्ता को वसूली से जोड़ने के लिए रिकॉर्ड पर कोई अन्य सबूत नहीं है। यह स्थापित स्थिति है कि अभियोजन पक्ष मामले में सह-आरोपी द्वारा दिए गए खुलासे के बयान पर आरोपी के खिलाफ अपने मामले की नींव नहीं रख सकता है। सह-अभियुक्त के प्रकटीकरण बयान को अभियुक्त की दोषसिद्धि का आधार बनाने के लिए ठोस साक्ष्य के स्तर तक नहीं उठाया जा सकता है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य सबूतों को आश्वासन देने या पुष्टि करने के लिए इस पर भरोसा किया जा सकता है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के सिद्धार्थ बनाम है *बिहार राज्य* (2005) 12 एससीसी 545 मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख लाभप्रद रूप से किया जा सकता ।

16. माना जाता है कि अपीलकर्ता नंबर 2 के खिलाफ रिकॉर्ड पर कोई अन्य सबूत नहीं है। विद्वान राज्य के वकील की यह दलील कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 इस स्थिति में अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए आएगी, किसी भी पुष्टि के अभाव में असमर्थनीय है, इसलिए स्वीकृति के योग्य नहीं है।

17. अभियोजन पक्ष द्वारा इग्ज़िबिट पी 4/ए पर भरोसा करना भी उतना ही गलत है, यानी खुलासा बयान जो कथित तौर पर अपीलकर्ता नंबर 2 द्वारा कथित रूप से झेला गया था। अपीलकर्ता नंबर 2 को बिहार में उसके आवास से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि, ए.एस.आई मनफूल सिंह, पी डब्ल्यू 10 के साथ-साथ पी.डब्ल्यू 4 ए. एस. आई राजिंदर प्रसाद ने स्वीकार किया है कि वे पहले अपीलकर्ता नंबर 2 को नहीं जानते थे। सह-आरोपी अनारी देवी अपीलकर्ता नंबर 2 - राज कुमार की पहचान करने के लिए उनके साथ बिहार नहीं गईं। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि उन्होंने उक्त यात्रा की थी या उन्होंने स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित किया था जैसा कि आवश्यक है। अपीलकर्ता नंबर 2 की गिरफ्तारी के समय कोई स्वतंत्र गवाह शामिल नहीं हुआ है। उक्त दो गवाहों के अनुसार, अपीलकर्ता नंबर 2 से रेलवे स्टेशन, दिल्ली से रोहतक के बीच यात्रा के दौरान पूछताछ की गई थी और उसे यात्रा के दौरान प्रकटीकरण बयान इग्ज़िबिट पी 4/ए का सामना करना पड़ा। ट्रेन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या के बावजूद, उस समय कोई भी संबद्ध नहीं था। यह एक स्वीकार्य स्थिति है कि अपीलकर्ता संख्या 2 द्वारा प्रकटीकरण कथन इग्ज़िबिट पी 4/ए के अनुसरण में कोई वसूली नहीं की गई थी। अपीलकर्ता नंबर 1 से प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी पहले ही की जा चुकी थी, जो अपीलकर्ता नंबर 2 की गिरफ्तारी से पहले है। बरामदगी का स्थान पहले से ही पुलिस के संज्ञान में था। 1/2 किलोग्राम चरस, जैसा कि उक्त प्रकटीकरण बयान में उल्लेख किया गया है, पुलिस द्वारा कभी भी बरामद नहीं किया गया था। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27, जो अभियुक्त के बयान के उस हिस्से की स्वीकार्यता की अनुमति देती है, जिससे तथ्य का पता चलता है, को इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा सेवा में नहीं डाला जा सकता है। वर्तमान तथ्यात्मक में, अपीलकर्ता नंबर 2 को दोषी ठहराने के लिए रिकॉर्ड पर किसी अन्य सबूत के अभाव में उपरोक्त दो प्रकटीकरण बयानों पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं होगा। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य उनकी दोषसिद्धि को सही नहीं ठहराते हैं। यह स्पष्ट रूप से आरोपी के अपराध की ओर इशारा नहीं करता है। वह इस तथ्यात्मक मैट्रिक्स में संदेह के लाभ का हकदार है।

18. ऊपर वर्णित तथ्यों के मद्देनजर सह-अभियुक्त से प्रतिबंधित पदार्थों की बरामदगी की कोई प्रासंगिकता नहीं हो सकती है। राज्य के विद्वान वकील का तर्क है कि अपीलकर्ता नंबर 1 से भारी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया था और यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि उक्त वसूली अपीलकर्ता नंबर 2 के विशिष्ट मामले के संबंध में कोई प्रासंगिकता नहीं हो सकती है।

19. अपीलकर्ता संख्या 1 से वसूली करते समय एन.डी.पी.एस अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन अपीलकर्ता नंबर 2 के मामले के संबंध में अभियोजन पक्ष के लिए किसी भी काम का नहीं हो सकता है जो पूरी तरह से अलग है और पूरी तरह से अलग इमारत पर टिका हुआ है। अपराध करने में अपीलकर्ता नंबर 1 की सहभागिता, भले ही साबित हो

जाए, अपीलकर्ता नंबर 2 के अभियोजन मामले में सुधार नहीं करता है। अपीलकर्ता नंबर 1 का मामला पूरी तरह से अलग है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विचार नहीं किया जा रहा है कि उसकी मृत्यु के कारण उसके खिलाफ अपील बंद कर दी गई है।

20. नतीजतन, अपीलकर्ता नंबर 2 राज कुमार @ राजू दुबे के खिलाफ इस अपील को स्वीकार किया जाता है। किसी अन्य मामले में जरूरत न होने पर उसे तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सचिन सिंघल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हिसार , हरियाणा